न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना, जिला–सतना (म.प्र.)

क्रमांक– /26 सतना, दिनांक : 28.09.2026

(आदेश)

मैं, **प्रवीण कुमार सोंधिया**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला–सतना (म.प्र.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **माह–अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर–2026** की अवकाश अवधि में अत्यावश्यक दाण्डिक कार्य सम्पादन हेतु नीचे वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यिुटी उनके समक्ष अंकित तिथि के लिये लगाता हूँ। उक्त तिथियों में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना की न्यायालय कक्ष में सायं 3:00 बजे से 5:00 बजे के मध्य उपस्थित होकर अत्यावश्यक दाण्डिक कार्य एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेगेः –

क.	रिमाण्ड कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह–अक्टूबर	माह–नवम्बर	माह–दिसम्बर
1	2		3	4
1	श्रीमती निर्मला वास्कले,	–	10, 11, 15, 29	19
2	श्रीमती रितिका शर्मा खरे,	20, 21, 25	–	27
3	श्री प्रत्युष चतुर्वेदी,	2, 3, 19	–	25
4	सुश्री सोनाली वर्मा,	17, 18	1	13
5	श्री पुजित कमल,	4, 10, 11	–	20
6	श्री संजीत चौरसिया,	–	8, 9, 21	05
7	सुश्री संयोगिता खत्री,		6, 7, 22, 24	06

नोटः–

1– कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना (म.प्र.) के विविध आदेश क्रमांक–64/चार–1–1/2013/14 सतना, दिनांक–24.06.2014 अनुसार सार्वजनिक अवकाश दिवसों में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सतना के आपराधिक प्रकरणों में गिरफ्तार व्यक्तियों को रिमाण्ड ड्यिुटी में उपस्थित न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा।

2– **अचानक अवकाश घोषित होने/संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने पर माह–अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर–2026 में श्री प्रत्युष चतुर्वेदी, जे.एम.एफ.सी. सतना आवश्यक कार्य एवं रिमाण्ड सम्पादित करेंगे और यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वे अनुपस्थित रहते हैं तो श्री संजीत चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सतना द्वारा रिमाण्ड व आवश्यक कार्य सम्पादित किया जाएगा।**

3– पुलिस अधीक्षक, सतना से अपेक्षा है कि वे अपने अधीनस्थ प्रत्येक थानों पर यह निर्देश प्रसारित करें कि अवकाश अवधि पर रिमाण्ड एवं आवश्यक कार्य लेकर हर हालत में सायं 3:00 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

4– न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड डियूटी होने पर आवश्यक कार्य आ जाने पर अवकाश लेने की स्थिति में अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से आपसी सहमति बनाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचना देते हुए रिमाण्ड डियूटी परिवर्तित कर सकेंगे।

5– सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में रिमाण्ड के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रेप विक्टिम के कथन (अंतर्गत धारा–164 द.प्र.सं./183 बी.एन.एस.एस) लेखबद्ध किये जायेगे।

6– किशोर न्याय बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट व सदस्यों के अवकाश/अनुपस्थित रहने की दशा में उक्त न्यायालय की रिमाण्ड उपरोक्तानुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सम्पादित किया जाएगा।

(प्रवीण कुमार सोंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)